into the Security Scam about the off-loading of PSU shares before their listing on the stock exchanges; and

(d) what steps Government have taken or propose to take to stop this practice of unofficial trading?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Setting up of heavy industries in Gujarat

4786. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the State Government of Gujarat has submitted any new proposal for setting up of heavy industries in the State;

(b) if so, the details thereof and the latest position of the said proposal; and

(c) the places where these industries are to be set up together with the details of the expenditure involved therein?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) Six applications were received during 1st January 1992 to 31st March, 1995 under the provisions of Industries (Development & Regulation) Act from undertakings belonging to State Public Sector and State Industrial Development Corporations for setting up of industries in Gujarat.

(b) and (c) The above applications were for taking up manufacture of various items pertaining to Scheduled Industries viz. Chemicals, Paper & Pulp, Drugs & Pharmaceuticals and Fuel. The proposed locations were Bharuch and Baroda/Vadodara districts. The proposed investment in fixed assets (i.e. land, building, plant and machinery) in respect of these applications was Rs. 47077 Lakhs. Against the above applications, four Letters of Intent have been granted and two applications have been rejected.

सरकारी क्षेत्र में सीमेंट का उत्पादन

4787. **श्री अनंतराम जायसवाल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र में सीमेंट की उत्पादन करने वाले कितने एकक हैं और उनमें से कितने काम कर रहे हैं और प्रत्येक की मासिक उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) क्या देश में उत्पादित सीमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा अन्य देशों को निर्यात कर दिया जाता है और यदि हां, तो वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान सीमेंट का कितनी मात्रा में किन-किन देशों को निर्यात किया गया और इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) 1995-96 के दौरान कितनी मात्रा में सीमेंट का निर्यात करने का लक्ष्य है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है; और

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने निकट भविष्य में सीमेंट के मूल्य बढ़ाने का निर्णय किया है और यदि हां, तो किन परिस्थितियों के तहत ऐसा निर्णय किया गया और इस निर्णय के पीछे क्या-क्या कारण हैं और मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप सीमेंट का प्रति बैग मूल्य क्या होगा और इसका आम जनता द्वारा मकान बनाए जाने की गतिविधियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया के स्वामित्व में 11 संयंत्र है जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं। (नीचे देखिये)। ये सभी 11 एकक काम कर रहे हैं।

(ख) जी, नहीं। इस समय सीमेंट/क्लिंकर के कुल उत्पादन के थोड़े से हिस्से का निर्यात किया जा रहा है। 1993-94 और 1994-95 में निर्यात के देशवार ब्यौरे दर्शाने वाला ब्यौरा संलगन विवरण-II में दिया गया है (नीचे देखिये) जैसा कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बताया गया है अनुमानित विदेशी मुद्रा में आय 1993-94 में 286.5 करोड़ रुपये और 1994-95 (फरवरी तक) में 411.2 करोड़ रुपये थी।

(ग) वर्ष 1995-96 के लिये कोई विशिष्ट निर्यात लक्ष्य निधारित नहीं किया गया है।

(घ) 1.3.1989 से सीमेंट के मूल्य और वितरण से नियंत्रण हटा दिया गया है अतः सरकार द्वारा सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि करने का प्रश्न ही नहीं उठता।